राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1966/2025

अनिल यादव **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, पशु पालन, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, पशु पालन विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. नोडल अधिकारी, प्रथम श्रेणी पशुपालन चिकित्सालय, कोटपूतली, जिला कोटपूतली–बहरोड़।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 06.02.2025
आदेश की दिनांक : 06.03.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रकाश चन्द यादव, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से :

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षित्प तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी वर्तमान में पशुधन सहायक के पद पर उप केन्द्र खेडकी वीरभान, कोटपूतली–बहरोड़ में कार्यरत है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति पशुधन सहायक के पद पर दिनांक 04.02.2020 के द्वारा उप केन्द्र खेडकी वीरभान, कोटपूतली–बहरोड़ में हुई थी, जिसके अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 07.02.2020 (अनुलग्नक–2) को कार्यग्रहण कर लिया गया था। संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर ने दिनांक 23.8.2024 के आदेश द्वारा अपीलार्थी को पशुगणना का कार्य सौंपा तथा उसे आरएसएलएमटी, जयपुर में प्रशिक्षण केन्द्र आवंटित किया तथा प्रशिक्षण की तिथि 27.8.2024 निर्धारित की तथा अपीलार्थी ने एक दिवसीय प्रशिक्षण में भाग लिया तथा तब से अपीलार्थी को पशुगणना का कार्य सौंपा जा रहा है (अनुलग्नक–3)। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से पचि नागेलाव, अजमेर में वीए के रिक्त पद विरूद्ध 250 कि.मी. दूर किया गया है। अपीलार्थी निम्नतर पद पर कार्यरत है। जबकि प्रत्यर्थी

विभाग द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण उच्चतर पद पर किया गया है, जो कि विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करें कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापित स्थान पर कार्यरत रखा जावे तथा वेतन भत्ते सहित समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान करने के आदेश फरमाये जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि न्यायहित में हम प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश देना उचित समझते है कि अपीलार्थी को पशुगणना पूरी होने तक कार्यमुक्त नहीं किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य